

11.06.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण प्रार्थी नई निगरानी पेश करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को विद्रोल खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी को नए सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस निगरानी प्रार्थना पत्र को जरिए विद्रोल खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(शुभम चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही